गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि पटवार हल्का आवश्यका की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा मुंडी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 290 रकबा 8.1018, खसरा नंबर 348/561 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, खसरा नंबर 348/562 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 348/560 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, मोजा बरसूणा में खसरा नंबर 330 रकबा 2.1610 हैक्टयेर, ग्राम कालवी में खसरा नंबर 31 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नंबर 31/258 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नंबर 31/259 रकबा 1.0684 का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक सहमति एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा मुंडी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 290 रकबा 8.1018, खसरा नंबर 348/561 रकबा 1.6106 हैक्टेयर, खसरा नंबर 348/562 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नंबर 348/560 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, मोजा बरसूणा में खसरा नंबर 330 रकबा 2.1610 हैक्टयेर, ग्राम कालवी में खसरा नंबर 31 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नंबर 31/258 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, खसरा नंबर 31/259 रकबा 1.0684 का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक सहमति एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 हरिनाथ उर्फ हीरनाथ के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा बरसूणा का खेत खसरा नंबर 330 रकबा 2.1610 हैक्टेयर सम्पूर्ण, ग्राम कालवी का खेत खसरा नंबर 31 रकबा 1.0684 हैक्टेयर सम्पूर्ण , खेत खसरा नंबर 31/258 रकबा 1.0684 हैक्टेयर सम्पूर्ण ,खसरा नंबर 31/259 रकबा 1.0684 हैक्टेयर सम्पूर्ण व ग्राम मुण्डी का खेत खसरा नंबर 290 रकबा 8.1018 हैक्टेयर में से 0.7300 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 दीनानाथ के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा मुंडी का खेत खसरा नंबर 348/562 रकबा 1.6187 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 348/561 रकबा 1.6106 हैक्टेयर में से 0.8053 हेक्टेयर दक्षिणी भाग, खेत खसरा नबर 290 रकबा 8.1018 हैक्टेयर में से 3.6664 हैक्टेयर उतरी पश्चिमी नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 गिरधारीनाथ के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा मुंडी का खेत खसरा नंबर 348/560 रकबा 1.6187 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 348/561 रकबा 1.6106 हैक्टेयर में से 0.8053 हेक्टेयर उतरी भाग , खेत खसरा नबर 290 रकबा 8.1018 हैक्टेयर में से 3.6664 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 कमशः हरिनाथ, दीनानाथ, गिरधारीनाथ के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मुण्डी का खेत खसरा नंबर 290 में रास्ते हेतु नजरीनक्शानुसार 0.0390 रखा गया है।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा। निर्णय आज दिनांक 03/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

03/02/22

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner